(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 05/2024- एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 08 अक्टूबर, 2024

सा.का.नि. ..... (अ)- एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13), की धारा 5 की उप-धारा (1) और धारा 15 की उप-धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 666(अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: -

उक्त अधिसूचना में, -

(क) अनुसूची 1 -5% के पश्चात, सूची 1 में, मद संख्या 232 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(233) ट्रैस्टुजुमैब डेरक्सटेकन

(234) ओसिमेरटिनिब

(235) डुरवालुमैब";

(ख) अनुसूची II में - 12%, क्रम संख्या 32ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"32ग	1905 90 30	एक्सड्रूडेड या विस्तारित उत्पाद, सेवरी या साल्टेड (एक्सड्रूज़न की प्रक्रिया के माध्यम से विनिर्मित बिना तले या बिना पके स्नैक पेलेट्स के अलावा, चाहे किसी भी नाम से जाने जाते हों)";

(ग) अनुसूची III में - 18%, -

(i) क्रम संख्या 16 के समक्ष, कॉलम (3) में, "एक्सड्रूज़न की प्रक्रिया के माध्यम से विनिर्मित बिना तले या बिना पके स्नैक पेलेट्स, चाहे किसी भी नाम से जाने जाते हों" शब्दों के स्थान पर, "एक्सड्रूज़न की प्रक्रिया के माध्यम से विनिर्मित बिना तले या

बिना पके स्नैक पेलेट्स, चाहे किसी भी नाम से जाने जाते हों, एक्सट्रूडेड या विस्तारित उत्पाद, सेवरी या साल्टेड" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) क्रम संख्या 435क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

"435क	9401 [9401 10 00 या 9401 20 00 के अलावा]	सीटें (शीर्ष 9402 के अलावा), चाहे वे बिस्तरों और उनके भागों में परिवर्तनीय हों या नहीं, विमान में उपयोग की जाने वाली सीटों या मोटर वाहनों के लिए उपयोग की जाने वाली एक प्रकार की सीटों के अलावा";

(घ) अनुसूची IV में - 28%, क्रम संख्या 210 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"210क	9401 20 00	मोटर वाहनों के लिए उपयोग की जाने वाली एक प्रकार की सीटें"।

2. यह अधिसूचना 10 अक्टूबर, 2024 को लागू होगी।

[फाइल संख्या सीबीआईसी-190354/149/2024-टीओ(टीआरयू-II)]

(अम्रीता टाइटस)
उप सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 666(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 02/2024- एकीकृत कर (दर), दिनांक 12 जुलाई, 2024, जिसे सा.का.नि. संख्या 397(अ), दिनांक 12 जुलाई, 2024, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।